# पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

**जनवरी, 2022** मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं: -

1. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 19.01.2022 के पत्र संख्या 1/4/2021-पी&पीडब्ल्यू (ई), भाग-1, द्वारा सभी पेंशन संवितरण बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 के वैधानिक उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन किया गया है और मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त बच्चे को जारी पेंशन संदाय आदेश में सम्मिलित किया गया है, पेंशन संवितरण बैंकों की ज़िम्मेदारी है कि वे इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति के माध्यम से ऐसे बच्चे की बाबत कुटुंब पेंशन का संवितरण करें।

2. सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) ने दिनांक 5 जनवरी, 2022 को देश के विभिन्न हिस्सों से 10 केंद्रीय पेंशनभोगी संघों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से एक परिचयात्मक ब्रीफिंग की अध्यक्षता की। पेंशनभोगी संघों ने अपनी उपलब्धियों को साझा किया और कुछ सुझाव दिए। सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की अध्यक्षता में 25 जनवरी, 2022 को सभी 46 पेंशनभोगी संघों के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसे देश भर के पेंशनभोगियों, जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, द्वारा सराहा गया। वेबिनार का उद्देश्य नई अधिसूचित सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करने के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इन दोनों विषयों पर प्रस्तुतियां दी गई और प्रत्येक प्रस्तुति के पश्चात प्रश्न उत्तर सत्र हुआ।

3. सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) ने उन मामलों की स्थिति की समीक्षा की जिनमें विगत 6 मास में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन संदाय आदेश जारी करने में विलंब हुआ था और जहां मामला लंबित था, वहां संबंधित सभी सचिवों को अर्ध-शा. पत्र जारी किया गया।

4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर जागरूकता फैलाने के लिए विभाग ने अपने विभागीय ट्विटर हैंडल पर एनपीएस से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की एक श्रृंखला शुरू की है।

5. एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के लापता कर्मचारियों के परिवार को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 का हितलाभ देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

6. सीपेनग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों का समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रक्षा वित्त विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डाक विभाग के साथ दिनांक 27.**01.2022** को **अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक** आयोजित की।

7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए भविष्य पर **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छः (6) प्रशिक्षण सत्र** आयोजित किए गए।

8. शिकायत समाधान, भविष्य, अनुभव और संकल्प पर स्थिति अनुबंध में उपदर्शित है। निर्धारित प्रारूप में विस्तृत जानकारी ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की जा रही है।

***